संख्या 192 /XXIV-3/10/02(77)2009

प्रेषक,

डा0 राकेश कुमार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांक 03 फरवरी, 2010

विषय **वित्तीय वर्ष 2009–10 में माध्यमिक शिक्षा विभाग की जिला योजनाओं के कियान्वयन हेतु प्रथम अनुपूरक अनुदानों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 05/XXVII(1)/2010 दिनांक 07 जनवरी 2010 एवं पत्र सं0 38/XXVII(1)/2010 दिनांक 19 जनवरी 2010 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में माध्यमिक शिक्षा विभाग की जिला योजनाओं के कियान्वयन हेतु संलग्नक में उल्लिखित विववरणानुसार अनुदान सं0 11 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में रू0 51323 हजार (रूपये पांच करोड़ तेरह लाख तैईस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

1– **जिला योजनान्तर्गत उन योजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृतियां वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 28 जुलाई, 2009 के प्रस्तर–7 में उल्लिखित प्रकियानुसार पूर्णतः प्रतिबन्धित है, जिसमें तत्काल अथवा भविष्य में पद सृजन निहित है।**

2– निर्माण कार्यो को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय, इस हेतु निर्माण की समय सारिणी इस प्रकार तैयार की जाय कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके। साथ ही वित्त विभाग के आदेश संख्या 475/XXVII(1)/2008 दिनांक 15–12–2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण एजेन्सी से एम0ओ0यू0 अवश्य किया जाय।

3– प्रयोगशाला/अतिरिक्त कक्षा–कक्ष कॉमनरूम एवं पेयजल तथा शौचालय हेतु धनराशि जनपद स्तर पर निर्धारित आगणन के आधार पर किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किये जा रहे कार्यो को वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा तथा उनकी कोई देयता आगामी वित्तीय वर्ष के लिए शेष नहीं रखी जायेगी।

4– निर्माण कार्यो के लिए निर्माण ऐजेन्सी का निर्धारण जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। निर्माण की गुणवत्ता के लिए सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी के अभियन्ता उत्तरदायी होगे। गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु यथा आवश्यक थर्ड पार्टी जांच भी करायी जाय।

5– एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय। कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

6– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाये।

7– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्यक करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

8– मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30 मई 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

क्रमशः.......2

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों के अन्तर्गत अनुदान संख्या 11 के अधीन लेखाशीर्षक 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01–सामान्य शिक्षा 202–माध्यमिक शिक्षा 91–जिला योजना के सुसंगत प्राथमिक इकाइयों एवं मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या 05/XXVII(1)/2010 दिनांक 07 जनवरी 2010 एवं 38/XXVII(1)/2010 दिनांक 19 जनवरी 2010 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में निर्गत किया जा रहा हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 राकेश कुमार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:–/42/XXIV-3/10/02(77)2009 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निजी सचिव मा0 मुख्यमन्त्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3– निजी सचिव मा0 शिक्षा मन्त्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड देहरादून।
5– निजी सचिव, सचिव विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6– आयुक्त कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7– मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
8– निदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
9– समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
10– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सचिवालय।
12– वित्त विभाग/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
13– कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग) उत्तराखण्ड शासन।
14– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।
15– शिक्षा अनुभाग 2, 4 एवं 5 उत्तराखण्ड शासन।
16– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जीपी0 तिवारी)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्याः 192 /XXIV-3/10/02(77)09, दिनांकः 03 फरवरी ~~जनवरी~~, 2010 का संलग्नक।

जनपद	लेखा शीर्षक 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01–सामान्य शिक्षा, 202–माध्यमिक शिक्षा, 91– जिला योजना		
	9101– राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान अध्ययन के लिए सुविधा तथा नवीन प्रयोगशालाओं का निर्माण	9103– राजकीय मा. विद्यालयों का भवन निर्माण, विस्तार, विद्युतीकरण एवं भूमि/भवन क्रय तथा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	9104–जिला स्तर पर शिक्षा कार्यालय तथा आवासीय भवनों का निर्माण
नैनीताल	1.35	6.75	20.90
ऊधमसिंहनगर	6.45	25.50	
अल्मोड़ा	6.40	47.00	5.40
पिथौरागढ़	1.25	15.50	
बागेश्वर	4.00		4.30
चम्पावत		60.65	
देहरादून	2.70	44.25	3.65
पौड़ी	7.20	43.75	27.75
टिहरी	5.70	64.50	
चमोली	11.20	35.08	14.00
उत्तरकाशी	1.20	19.70	
रूद्रप्रयाग	2.00	22.10	
हरिद्वार	1.00		2.00
योगः	**50.45**	**384.78**	**78.00**

(कुल रूपये पाँच करोड़ तेरह लाख तेईस हजार मात्र)

(जी0पी0 तिवारी)
अनु सचिव।